(c) Rs. 2·29 crores.

(d) This will arise after the Project is aproved by the Technical Advisory Committee.

Water Pollution Control Board in Kerala

1252. { **Shri A. V. Raghavan:** / **Shri Pottekkatt:**

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal before the Government of Kerala to form a State Water Pollution Control Board to exercise control over the discharge of industrial and commercial wastes;

(b) if so, when the Board will be established; and

(c) the steps taken to control the pollution of rivers by such wastes?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes,

(b) and (c). It is proposed to establish such a Board during the Fourth Plan.

House-Building Loan to Government Employees

1253. **Shri R. G. Dubey:** Will the Minister of **Works, and Housing** be pleased to state:

(a) how many months' basic pay a Central Government employee is entitled to get as a loan under each category, i.e., high income group, middle income group and low income group for construction of his house;

(b) whether the amount of such loan is sufficient for a person under the category of low income group and drawing basic pay of under Rs. 200 per month for construction of a reasonably good house in view of the high cost of labour and construction material; and

(c) the incentive and facilities that are under consideration of Government for giving to their employees as a whole and especially belonging to the low income group to overcome the acute shortage of accommodation in big cities like Calcutta, Bombay, Delhi and Madras?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). Under the House-building Advance Rules, Central Government servants are eligible, irrespective of the income group to which they belong, for loan assistance up to 36 times their monthly pay subjects to a maximum of Rs. 25,000. The low-paid Government servants are, however, allowed loan assistance up to Rs. 4,800 in case where loans equal to 36 months' pay fall short of their requirements. This amount is considered sufficient for construction of a model house in a Mofussil area.

(c) Availability of building sites at reasonable rates is the main problem in big cities like Calcutta, Bombay, Delhi and Madras. Government has introduced a Scheme for large-scale acquisition and development of land in and around growing towns for housing and allied purposes. The object of this Scheme is to make available plots at reasonable rates primarily to house-builders belonging to low income groups i.e., those whose income is up to Rs. 500 per month. State Governments are also allotting building materials to house-builders out of their State quotas. These facilities are available to Central Government servants who intend to build houses.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

HOISTING OF GREEN FLAG AKIN TO PAKISTANI FLAG BY THE PLEBISCITE FRONT IN JAMMU AND KASHMIR

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न लिखित विषय की ओर गृह मंत्री

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें :

"5 दिसम्बर, 1964 को जम्मू और काश्मीर में विभिन्न स्थानों पर जनमत संग्रह मोर्चे के द्वारा पाकिस्तानी झंडे के समाने हरे झंडे फहराये जाने का समाचार।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : जनमत मोर्चे के 14 से 16 नवम्बर, 1964 तक होने वाले सौपोर अधिवेशन में इस पार्टी का एक नया झंडा अपनाया गया। झंडा मुख्य रूप से हरा है जिसमें गस्तूल की तरफ़ नारंगी रंग की एक चौड़ी पट्टी है। झंडे के बीच में ज़रदोज़ी के काम से बनाई हुई तीन आकृतियां टांकी गई हैं। सबसे ऊपर एक हरी चिनार की पत्ती है ; उसके नीचे अंजलि बद्ध मुद्रा में जुड़े हुए दो हाथ हैं और सबसे नीचे एक अर्द्धचन्द्र है। यह झंडा पाकिस्तान के झंडे जैसा नहीं है।

2. 5 दिसम्बर, 1964 को, जिस दिन शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन था, जनमत–संग्रह मोर्चे ने "योमे–परचम" या झंडा–दिवस मनाया। इस रोज़ सारी काश्मीर घाटी में इस पार्टी के दफ्तरों पर झंडे फहराये गए। मुख्य समारोह, जनमत मोर्चे के मुजाहिद मंजिल–स्थित, प्रधान कार्यालय में मनाया गया जिसमें श्री अफ़जल बेग ने विधिवत झंडा फहराया। शेख अब्दुल्ला के सम्मान में 11 पटाखे छोड़े गए और उन्होंने तथा मोर्चे के अन्य नेताओं ने एक समारोह में, जिसमें 5–7 हजार लोग उपस्थित थे प्रशंसात्मक और बधाई के भाषण दिये। किसी दंगे की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मिर्जा अफ़जल बेग और शेख अब्दुल्ला दोनों जनमत संग्रह मोर्चे के लीडर हैं और उन्हीं के द्वारा उन लोगों को उभारा जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार इन दोनों को गिरफ्तार करने का विचार कर रही है या उन पर कोई पाबन्दी लगाने का विचार कर रही है। इन दोनों को विदेशों में जाने की जो सरकार ने अनुमति दी तो क्या विदेशों में जा कर ये लोक भारत के खिलाफ़ प्रचार नहीं करेंगे।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : इस प्रश्न का एक हिस्सा ऐसा है जिस का इस नोटिस से सम्बन्ध नहीं है। कोई भी कार्रवाई ऐसी होगी जिस के लिये कुछ सोचने की बात हो उस की इस में कोई बात नहीं आती है। जहां तक झंडे का मामला है, वहां कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा लोगों को उभारा जा रहा है और उन के बारे में यह मांग की जा रही है, यह दोनों मोर्चे के लीडर हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसी कोई बात है तो उस पर विचार किया जायेगा, जब यह मामला आयेगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस सरकार ने उनको विदेश जाने की अनुमति दी है तो क्या सरकार इस बात की गारन्टी दे सकती है कि विदेशों में जा कर वे भारत के विरुध प्रचार नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सरकार यह गारन्टी कैसे दे सकती है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जब सरकार को इस बात का पता है तब उन को बाहर जाने की अनुमति क्यों दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। अगर जबर्दस्ती उन से कोई जवाब निकलवाना हो तो निकाल लीजिये।

Shri Hem Barua (Gauhati): Internationally, this oft-repeated slogan that Kashmir's accession to India is final and irrevocable has failed to carry any conviction even with those world capitals that are friendly to us and internally it has encouraged anti-national and anti-State elements in the State, and in that context, may I have a positive reply, a specific reply from the Government as to how long Government propose to perpetuate this undifying edifice of article 370 in our constitutional history?

Shri Nanda: We have dealt with article 370 very fully the other day.

Mr. Speaker: Article 370 was discussed. I thought that the supplementary would end differently but ultimately it was about article 370.

Shri Hem Barua: I am concerned with one thing. The other day he gave an assurance about that, and after that, there have been developments inside the State, development of an anti-State nature. Therefore, I was interested in knowing whether he has made any decision to remove that article, article 370, which is responsible for encouraging these anti-national elements inside the State.

Mr. Speaker: Has any modification in policy been made?

Shri Nanda: No, Sir. Nothing has happened to cause any modification in policy.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर): जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने बतलाया, झंडे का रंग हरा है और उस में पाकिस्तानी झंडे की तरह से उसी प्रकार की पट्टी है, मिले हुए हाथ हैं जो कि पाकिस्तान और काश्मीर की मित्रता के प्रतीक हैं। जनमत संग्रह मोर्चे का इस प्रकार का झंडा रक्खा गया है। और झंडे जो लहराये गये वह केवल सार्वजनिक स्थानों पर ही नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों पर भी लहराये गये। मेरे पास ऐसे फोटो भी हैं जिन में सरकारी दफ्तरों पर, जैसे कि कम्यूनिटी डेवलपमेंट का केन्द्र, यह झंडा लहराया गया, जहां पर स्पष्ट शब्दों में जनमत संग्रह मोर्चे के नारे लिखे हुए हैं। नेशनल कांफरेंस के आफिसों पर यह झंडा लहराया गया है। यह सब स्पष्ट बतलाता है कि काश्मीर के अन्दर देशद्रोही घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। क्यों सरकार इस के लिये कोई ऐक्शन नहीं लेती।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): यह सरकार कुछ नहीं करेगी।

श्री नन्दा: सब कुछ करेगी जो जरूरी होगा। जहां तक मेरी जानकारी है इसमें यह बात नहीं आती। जो भी झंडे फहराये गये वह उनके अपने आफिसों में ही फहराये गये। वह किसी पब्लिक जगह या पब्लिक बिल्डिंग पर नहीं लहराये गये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: अगर आप चाहें तो मैं आप के पास चित्र भेज सकता हूं। मेरे पास उन बिल्डिंग्स के चित्र हैं।

श्री नन्दा: पब्लिक बिल्डिंग या आफिसों में नहीं लहराये गये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मेरे पास सरकारी दफ्तरों के चित्र है, कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के आफिस.....

अध्यक्ष महोदय: आप चित्र भेज दीजिये फिर दर्याफ्त कीजिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं उन चित्रों को सदन के टेबल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: टेबल पर रखने के बजाय आप उनको मिनिस्टर साहब के पास भेज दें।